THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2007 (INSERTION OF NEW ARTICLE 30A)

SHRI JAI PARKASH AGGARWAL (NCT of Delhi): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI JAI PARKASH AGGARWAL: Sir, I introduce the Bill.

The Agricultural Produce (Remunerative Prices) Bill, 2006 (Contd.)

DR. M.S. GILL (Punjab): Sir, it is a pleasant surpirse. उपसभापति जी, मुझे थोड़ा confusion था, नारायणसामी जी पांडिचेरी चले गए हैं, नहीं तो मैंने उनसे पूछना था क्योंकि काफी देर से यह विषय चल रहा है और मैं याद कर रहा था कि मैं पिछले सेशन में इस पर बोल चुका हूं या आप मुझे मौका देंगे या फिर आप मुझे double turn दे रहे हैं, यदि ऐसा है तो अच्छी बात है। यह जो किसान का सवाल है, यह बार-बार उठता है।

श्री उपसभापति: आप पहले नहीं बोले हैं, दूसरे विषय पर बोले होंगे।

डा० एम०एस० गिल: आज सुबह भी क्वेश्चन ऑवर में किसान का ही सवाल उठा था। करीब 40 मिनट तक इसी बात पर चर्चा हुई, बड़ी गंभीर चर्चा हुई। जितने लोगों ने इंटरवीन किया, हरेक ने कुछ न कुछ नुक्ता निकाला। इस वक्त सवाल तो यही है कि इस देश में किसान की दशा बुरी है। इसके साथ ही 65 परसेंट लोग किसान हैं या गांव वाले हैं, चाहे वे labourer हों या थोड़ी बहुत जमीन उनके पास हो, लेकिन वे गांव वाले हैं। इस वक्त इस देश में सबके सामने, सारी पार्टियों के सामने सवाल यह है कि क्या आप इस देश को सेंसक्स से ऊपर ले जाएंगे और संसेक्स भी आज 14,200 हो गया है, अगले दिन 8,000 पर चला जाता है, पता नहीं कौन मारे, जाते हैं , कौन कमा जाते हैं? मेरी समझ में तो सेंसेक्स की जो कमाई है, वह तो मारिशस वाले भाइयों की है- हमारे भाई उधर से आ जाएं, उनके भाई उधर से आ जाएं, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं और यहां हिंदुस्तान के थोड़े से बड़े लोग, जो इस financial situation को manage करते हैं, control करते हैं, उनकी कमाई है। जो मिडल क्लास के लोग हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलता इसलिए जब दिल्ली में अभी चुनाव हुए, तो नतीजों से काफी दु:ख हुआ, इस तरफ तो बहुत दु:ख हुआ क्योंकि उनको कुछ नहीं मिलता है। जो 65 परसेंट लोग बाहर बैठे हैं, उनको तो पता भी नहीं है कि यह सेंसेक्स क्या बला है? मैं कल-परसों पढ़ रहा था, एक अमरीकी अखबार में एक विद्वान कहता है कि मैं चीन और

भारत की स्थिति को देख रहा हूं, मैं बिहार गया था, वहां मैं खूब गांवों में घूमा, मैंने वहां देखा कि न वहां विद्या है, न वहां सेहत के लिए कोई बंदोबस्त है, न स्कूल हैं, न पढ़ाने वाले हैं, बच्चे मुझसे कहते हैं कि एकाध टीचर हैं, हम तो आ जाते हैं, वे नहीं आते, क्योंकि उनकी तनख्वाह घर पर ही पहुंच जाती है, यह हाल है। तो वह कहने लगा कि माफ करना, मैं हिंदुस्तान के हक में हूं, लेकिन आप चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। अपने आपको ऐसे मत धोखा दो। हम लोग धोखा देते हैं। रोज बात होती है कि हम तो 21st century में पहुंच गए। पहुंच गए, क्योंकि 21st century चढ़ गई। हम भी बैठें हैं, वे भी बैंठे हैं, अमीर भी बैठे हैं, बिल गेटस भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, लेकिन मैं तो नहीं पहुंचा, जो मुझसे बाहर गांवों में बैठे हैं, वे नहीं पहुँचे। अभी मैं मध्य प्रदेश होकर आया, झांसी भी गया, वहां से शिवपुरी भी गया, सारा बुदेलखंड का इलाका, रानी झांसी का इलाका घूमा, क्योंकि मैं मोटर से इधर-उधर गया। मुझे ग्रांउड इंडिया देखने का मौका मिल जाता है। जब मैं वहां जाकर बैठता हूं, मेरी वहां खेती-वेती कुछ नहीं है, वैसे ही मेरी टांग फंसी हुई है, लेकिन जो भाई, कज़िन, वगैरह वहां खेती करते हैं, मैंने देखा है कि उनमें से कोई भी अपना बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है। मध्य प्रदेश में flat rate है, उनके ऊपर एक-एक लाख का बिल चढ़ा हुआ है। उपसभापति जी, आपको पता है कि मेरी क्या मुसीबत है। मुझे आमदनी तो कोई मिलती नहीं, लेकिन पानी देने के लिए जो मोटर है, नदी से या जिधर से भी, वह मेरे नाम पर है। जो भी कोई कहता है कि मैं आपका थोड़ा सा ध्यान कर रहा हूं वह 70-80 हजार चढ़ा कर गायब हो जाता है। मैं सोचता हूं कि जिस दिन मध्य प्रदेश में अखबारों में यह छप गया कि मनोहर सिंह गिल 80 हजार की बिजली चोरी करके भाग गया, तो मैं तो मारा गया। फिर मैं अपनी पेंशन से इसे देता हूं या आपके फंड से देता हूं, जो तन्ख्वाह मुझे यहां से मिलती है। मेरा भाई जरनैल फौज से रिटायर्ड है, आधा वह देता है। यह किसानों का हाल है। गरीबी की हालत यह है।

मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं अमृतसर जाता हूं, तरनतारन जाता हूं, अपने गांव जाता हूं, मुझे वहां बहुत गुरबत दिखती है। जो बुंदेलखण्ड में है, वह तो पत्थर है, ग्रेनाइट एरिया है, दक्कन प्लेटयू है, वहां पंजाब जैसी जमीन तो नहीं है। 60 साल पहले 1949 में हम वहां जंगल काटने गए थे, तो वैसे ही लोग हैं। यह दशा है। मैं एक चीज बार-बार कह देता हूं कि अगर इसका ध्यान नहीं करोगे, तो आप जो मर्जी करो, हम 21st century में जा रहे हैं, आप नहीं पहुंचेगें, आप नहीं जा सकते, कोई भी सरकार हो, क्योंकि आपको 65 परसेंट गरीब भाइयों को साथ लेकर जाना होगा, नहीं तो आपको पकड़ कर इधर ही रखेंगे। यह भी मत समझिए कि आपने जो कमा लिया, वह आपके हजम हो जाएगा। हजम नहीं होने देंगे। यह चक्कर है। इसलिए किसान के, आज सुबह भी बात हुई, उसके खर्च देखों, जो चीजें वह इस्तेमाल करता है। मैंने बिजली का जिक्र किया, डीजल का जिक्र करता हूं, खाद का जिक्र करता हूं, पेस्टिसाइड का जिक्र करता हूं, जो भी वह डालता है, तो उसके खर्चे,

उसकी कीमत जो मर्जी होती रहती है।यह तो पुराने समय से, 30 साल से आ रहा है, जब मैं डिप्टी कमिश्नर था कि पंजाब में और इंडिया में जो इनपुट है, उस समय ट्रैक्टर मैसी फर्ग्युसन मद्रास से आता था, उसकी कीमत तो बेइंतहा होगी, जो मर्जी कर लें, कोई रोक नहीं है, आज भी नहीं है।

जो आप अभी बात कर रहे हैं या जोशी जी बात कर रहे हैं, यह जो व्हीट की पॉकेट थी, खास कर पंजाब, हरियाणा या उस वक्त इकट्ठा पंजाब भी था, इसको दीवार बना कर बांध देते थे-फूड जॉंस। उस पर बंदिश लगा देते थे। कीमत depressed रखेंगे और तुम्हें हमें ही देनी है। फिर ऊपर मुझे याद है कि दरबारा सिंह जी पंजाब के मुख्य मंत्री थे, यह भी ऑर्डर करवा दिया, क्योंकि देश में खाना तो कम होता ही रहता है, अब तो बहुत crisis है, मुझे याद है कि उन्होंने कर दी और शायद अब भी है कि आप पांच बोरी से ज्यादा नहीं रख सकते। क्यों भाई, हमने सोना रखा हुआ हैं, हम इसको उगा कर लाए हैं, तुम कौन होते हो मुझे यह कहने वाले कि मैं पांच बोरी रखूं या सात रखूं। यह कौन सी आजादी है, यह कौन सी डेमोक्रेसी है? ऐसा था। आज भी यही चक्कर है। आपने मुझे कितना टाइम दिया है?

श्री उपसभापति: आप बोलिए।

डा. एम.एस. गिल: ठीक है, मैं बोलता हूं। आज सुबह मैं बात कर रहा था कि रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं, मि. रेड्डी, मैंने परसों टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा, लम्बी सोच के विद्वान का एक स्टेटमेंट है और वह कह रहा है कि इसमें फूड की तो बहुत चिन्ता हो रही है। यह हमें भी पता है कि आबादी बढ़ रही है, मंत्रियों को भी पता है, शरद जी को भी पता है, डा॰ मनमोहन सिंह को भी पता कि किस रेट पर आबादी जा रहीं है और फूड ग्रेन किस रेट पर बढ़ रहा है। वह बढ़ ही नहीं रहा है, 10 साल से stagnant है। न पंजाब में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, न कोई ऐसा सीड निकला, व्हीट का या पैडी का, जिससे ज्यादा प्रोडक्शन हो और न ही अब उनका इंटरेस्ट है इसे लगाने का। परसों मैंने पंजाब के पेपर पढ़े 137 ब्लॉक्स हैं, जो डेवलपमेंट के ब्लॉक्स होते हैं। उनमें से 103 तो बिल्कुल सत्यानाश हो गए। उनसे पानी नहीं मिलता। वह पिछले 10 साल मे 15-20 मीटर नीचे जा चुका है। अब लोग submersible pump लगाते है, which is a very deep pump. एक समय में पंजाब में जहां 10 फीट पर पानी होता था, बिहार में भी वही था, वहां अब submersible पर भी 300 फीट नीचे है। तो उसे कौन लगाएगा और वह कॉस्ट कौन देगा? वह लगाएंगे जो अमीर हैं। मैं लगाऊंगा तो पास के आधा किलोमीटर के एरिया में जो गरीब किसान हैं उनको सूखा कर दूंगा। So, water has to be shared even in your village. मैं उसे डीप ले जाऊंगा और आप सूखे में इंतजार करते रहिए। आज यह हो रहा है। मैंने दस साल पहले पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कनवोकेशन में कहा था कि अगली सैंचुरी में लड़ाइयां, मुल्कों के बीच में और मुल्कों में आपस में, पानी की होंगी। आज वह आपके सामने हो रही हैं।

कल मैं गांधी जी के स्टेच्यू के सामने गया। वहां मेरे कुछ भाई बैठे थे। मैं अकेला ही था। मैंने सोचा कि फोटो खिंचवा लूं, फोटो किसी कॉज में अच्छा रहता है। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ है? वह कहने लगे महाराष्ट्र का एक डैम बना दिया है। वहां पहले ही एक डैम है, गोदावरी में है, लेकिन एक बीच में ठोंककर बना दिया है। वह पानी उधर ले जा रहा है जिससे आंध्र वाले रो रहे हैं। ऐसा ही कावेरी के ऊपर है, ऐसा ही पंजाब का है, हरियाणा का है और किस का नहीं है? तो यह बहुत complex सवाल है कि सारा कुछ किसान को दो, उसका ध्यान करो, उसको साथ जोड़ो, उसके लिए खेती करने का बंदोबस्त करो उसके inputs का हिसाब लगाओ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) पीठासीन हुए]

यह मैं हमेशा कहता रहता हूं। फर्टिलाइजर मिनिस्टर बैठे हैं, मैं भी उस मिनिस्ट्री में रहा हूं, अभी फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात हुई उस वक्त डा॰ मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिंह राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय कैबिनेट कमेटी ऑन इकानोमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई थी जिसमें मैं भी बैठा था। उसमें जो समझदार ऑफिसर्स थे, वे चुप रहे। मेरे से नहीं रहा जाता, मैं बीच में बोल पड़ा। मुझे एक ऑफिसर्स ने कहा चुप रहो, यहां बोलने से कुछ फायदा नहीं है, नुकसान ही हो सकता है और ऑफिसर्स का तो बहुत जल्दी हो जाता है। नरसिंह राव जी बड़ी सूझबूझ वाले आदमी थे, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। जाखड़ जी हमारे मंत्री थे और बहुत बड़े किसान हैं, वह भी चुप बैठे रहे। नरसिंह राव जी ने कहा, बोलो मैंने कहा कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात आप कह रहे हो, यह आप inefficiently दे रहे हो। अब इंडिया में चाहे हल्दिया की इंडस्ट्री हो, चाहे ज्वारी वगैरा लगी हो, मुझे पता नहीं कौनसी सब से नीचे है और कौनसी ऊपर है। अब उनको जो देना है, किसान के सिर पर टोकरी रख देते है कि यह आपकी एग्रीकल्चर सब्सिडी हो गयी। भाई, यह कहां की एग्रीकल्चर सब्सिडी है। आप हमारे सिर पर टोकरी रख देते हैं। जबकि देना किसी और को है। सवाल यह है कि किसान को फर्टिलाइजर देना, पानी देना या डीजल देना—उसका हिसाब करो, उसके ऊपर जो प्राइसेस होंगी, उसके लिए मार्केटिंग का बंदोबस्त करो और उसमें उसको "नेट" दो ताकि वह भी इज्जज की रोटी खा सके। अमीरी तो उसको आनी नहीं। आज तक दुनिया में कोई किसान अमीर नहीं हुआ है —न पहले हुआ है और न कल होगा, आप कहीं का देख लो, मेरी नजर में तो है नहीं।

आज गांवों में भी बच्चों की स्कूल फीस बहुत हो गयी है। आज कांवेंट स्कूल्स पंजाब में हैं, बिहार में भी हैं, जोकि हजार-हजार रुपए फीस मांगते है। दूसरी बात, मुझे दुख होता है, आज हिन्दुस्तान में कहीं भी जाओ, चाहे डी॰ए॰वी॰ हो या कोई और स्कूल खुले हैं, वह कहते हैं टाई लगाकर आओ। अरे भाई, यह गुलामी तो छोड़ दो। गर्मी में यह टाई क्यों लगाते हो? लड़कियों को कहा जाता है स्कर्ट पहनकर आओ। अरे भई सलवार-कमीज पहन लो या कुछ और पहन लो। तो यह भी होता है। उन स्कूलों में हमारे लोग हजार-हजार रुपए फीस दते हैं। वहां सरकारी स्कूल खत्म हो गए है। आप बताए गांव में मेरे, आपके, किसके चल रहे हैं? हां, यूनिवर्सिटीज चल रही हैं।

हम यहां भी आई.आई.एम. एडमिशन की बात कर रहे हैं। यह सवाल भी बड़ा है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि उसमें यह हो या न हो, मुझे तो हिन्दुस्तान के स्कूलों की चिंता है। अगर ये स्कूल नहीं होंगे तो इनमें कौन जाएगा? स्कूल नहीं होंगे, तो इनमे कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। जाएगा भी तो अनपढ़ जाएगा। वह क्या करेगा? स्कूल नहीं है। किसानों के लिए स्कूल नहीं हैं। जो यहां बैठे हैं, उनके लिए हैं। यहां दिल्ली के आसपास तो एयर कंडीशंड स्कूल्स भी हैं। यूरोप में नहीं हैं। यहां एयर कंडीशनर लग रहें हैं। वहां उनके चढ़ने के लिए घोड़ें रखेंगे। यह तो रईसी की हद को गई, क्योंकि कुछ लोग ये सारा खर्चा कर सकते है। सैंसेक्स के जो लोग है। वे यह कर रहे हैं। मैं आपको सच में कह रहा हूं कि मेरे पिताजी फौज़ में मेजर थे। उनके दो लड़के थे। 1947 में उन्होंने हमें आधी तनख्वाह देकर गांव के स्कूल से, तरनतारन से, निकाल कर एकदम मसूरी के अंग्रेजी स्कूल में पहुंचा दिया, सैंट जॉर्जेज़ स्कूल, मसूरी में, जो डेढ़ सौ साल पुराना है। तो नैचुरली हमें विद्या का मौका मिल गया, नहीं तो मुझे कोई सींग लगे हुए हैं कि मैं ज्यादा पढ़ गया हूं या ज्यादा अक्लमंद हूं। अक्ल तो भगवान ने दी है, वैसे ही सब जानते हैं कि सब को दी है, लेकिन सबको मौका नहीं मिलता है। अब मौके की यह हालत है कि एक तरफ तो दिल्ली के आसपास ये एयर कंडीशंड स्कूल्स हैं। मैं पढ़ता रहता हूं कि गुड़गांव से राजस्थान की तरफ 5-5 सौ एकड़ में बन गए हैं उनमें घोड़े भी रखे हैं, हाथी भी रखे हैं, उनमें पोलो भी खेलते होंगे। यह कौन-सा हिन्दुस्तान है?

उस पर यहां कोई सुनता नहीं है। ये जो अखबार वाले हैं, ये लिखते नहीं है। अब तो वे बैठे भी नहीं होंगे। कभी कोई नहीं लिखता। जो हिन्दुस्तान की डिबेट है–हां जो एम०पीज़० की बद्दिकस्मती है, वह लिखते है। मैं सच कहता हूं कि तीन खबरे छपंती हैं। कोशिश करता हूं कि किसी चैनल पर कम-से-कम न्यूज़ तो देख लूं। मैं न्यूज़ कौन-सी देखता हूं? 9 O'Clock, जो इनका main होता है। यहां दास मुंशी जी अभी नहीं हैं। उसमें 45 मिनट एडवर्टाइजिंग होता है और 15 मिनट गपशप होती है, जिसको हम न्यूज़ कहते हैं। अमेरिका में, इंग्लैड में तो ऐसा नहीं होता। आप क्यों नहीं इसको बंद करते। मेरी सिटिजन राइट है कि अगर मैं फीस देता हूं, वह जो कुछ भी हैं, मैं खर्च करता हूं तो मुझे टी.वी. पर जो दिखाना है, इन पर बंदिश डालो। यह एक घंटे में से 20 मिनट एडवर्टाइज़ करें, बाकी कुछ प्रोग्राम तो दें जनता को, क्योंकि रिटर्न मिलनी चाहिए, रिटर्न कुछ नहीं है।

वे जो 15 मिनट्स हैं, उनमें क्या होता है? एक तो मर्डर की खबर होगी। अगर निठारी से थक गए तो कोई और मिल जाता है, क्योंकि सौ करोड़ में से कोई-न-कोई का कुछ तो होता ही रहेगा। इस प्रकार एक मर्डर की खबर होती है। उसके ऊपर फिर खूब मसाला-नीचे से पूछो, ऊपर से पूछो, आगे से पूछो, पीछे से पूछो। वह जो compeer बैठे हुए हैं, वे सारे मेरे दोस्त हैं। क्या compeer हैं, क्या गपशप है! उसके बाद एक खबर होगी क्रिकेट की। मैं एक क्रिकेटर हूँ। सब को जानता हूँ। जितने बड़े और छोटे हैं। लैकिन शुक्र है भगवान का कि इनकी जल्दी छुट्टी हो गई। कुछ नहीं फर्क पड़ा....(व्यवधान).... यह किसान के ऊपर ही आता है, क्योंकि हमको तो वहाँ टाँग दिया और

हिन्दुस्तान यहाँ खड़ा है। तीसरी जो खबर है, वह इसके ऊपर आती है कि गुरुद्वारे और मंन्दिर कौन-कब जाता है और कितने गुरुद्वारों में जाता है या मंदिरों में जाता है। क्या यह हिन्दुस्तान की खबर है? हिन्दुस्तान की खबर है गरीब की, हिन्दुस्तान की खबर है किसान की, हिन्दुस्तान की खबर है कीमत की, जो आप पूछ रहे हैं। हिन्दुस्तान की खबर है कि फिरोजपुर में, वहाँ से एक मील दूरी पर जो मैं सुबह कह रहा था-कि एक औरत को एक आढ़तिया या साहूकार आकर पीट कर उसकी भैंस ले जा रहा है और लोग सिर्फ गुरुद्वारे में इकट्ठे ही हो सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं। भगवान कोई होगा तो आएगा? पता नहीं है कि नहीं है। पासवान जी, बताएँ मुझे। मुझे तो पता नहीं है। या तो वह अलोप हैं या दूर हैं। सवाल तो मैं यही उठाउंगा।

जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइसेज़ की बात है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ है? 10-15 सालों से यह 2 परसेंट से नीचे ही रहती है। जो कुछ मरजी भी कहा जाए, असलियत में साल में मिलता नहीं है। आप लोग जनता की तरफ से बैठे हैं, मैं दूसरी तरफ से आया हूँ। एक चीज़ तय नहीं हो सकी। मैं एग्रिकल्चर की कमेटी में भी चर्चा करता हूँ, शोर करता हूँ कि तुम लोग हिलो, इस पर झगड़ा करो। लेकिन वह क्या है कि यहाँ बैठ कर सारा कुछ बजट पास कर देते हैं, चाहे जैसा भी हो। अलॉटमेंट भी कर देते हैं, स्कीमों का भी जिक्र कर देते हैं। तालियाँ भी बज जाती हैं। उसके बाद क्या होता है? फिर सारा साल, this is the mechanics of administration of the great elephant called the Government of India which is perpetual. It is beyond this Government, that Government or the next Government. वहाँ क्या होता है? वे पूरे नौ महीने कहते हैं कि हम तो एग्जामिन कर रहे हैं। दो संस्थाएँ हैं, एक फाइनांस है और दूसरा प्लानिंग कमिशन है। वे लगे रहते हैं। उनको कोई परवाह नहीं कि आप यहाँ unanimous कर दो या न कर दो, जो मरजी आप ने आप को समझों और वे वापस कर देते हैं। यह तो बात ही गलत है। कैसे ड्राई लैंड फार्मिंग करेंगे? मुझे याद हैं, दो साल पहले यहां चिदम्बरम जी ने कहा था कि पांच लाख वाटर बॉडीज़ कर देंगे। आपको याद है? आपके गांव में भी छप्पड़ बनना था। नहीं बनना था? मेरे गांव में भी शायद बन जाता। पांच लाख लेकिन पहले तो उसमें आ जाता है कि पहले पायलट प्रोजेक्ट में 10 ले लेंगे और उसी में हमारी और आपकी उम्र निकाल देंगे। फिर अभी तक वे पास ही होते रहते हैं, कहीं रिफ्यूज हो जाते हैं। अगर प्लानिंग कमीशन पास भी कर दे, तो फाइनेन्स मिनिस्टरी रोक देती है। कहीं दसवें महीने में कुछ स्कीमें, मर्जी हो, तो पास होती हैं। आप बजट की पिछले तीन साल की स्कीम निकाल कर चेक कर लें, दो-दो, तीन-तीन साल की पड़ी हुई हैं और वे रुकी रहती हैं। तो यह कैसे इस वोट का वैल्यू हुआ? जो किसान के लिए आपकी मंशा है, वह कैसे आगे बढ़ेगी? स्कीमों को पहले चाहे दस साल तक देखते रहो, लेकिन एक दफा यहां से लग जाए, तो उसी वक्त मिनिस्टरी में सेंक्सन चली जानी चाहिए कि ये दस स्कीमें आप करो, and the money will be allotted and distributed, ताकि फिर सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर उस साल में कुछ न कुछ कर भी

लें, लेकिन ऐसा नहीं होता है।

महोदय, हमने एग्रीकल्चर की कमेटी में कहा था, मैं रामगोपाल यादव जी को कहता भी रहता हूं कि सारे चेयरमैन इकट्ठे होकर विचार करो कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? एग्रीकल्चर कमेटी में पिछले छह महीने हो गए मेरी सजेशन पर, क्योंकि स्कीमें सारी फंसी हुई थीं, एग्रीक्रल्चर सेक्रेटरी को बुलाया। मैं भी रहा हूं, राधा सिंह थीं, वह कहती हैं कि मैंने जो कागज भेजे हैं, पास नहीं होते। इस तरह तो हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं, उनका भी टाइम खराब कर रहे हैं, क्योंकि वह बेचारी कुछ कर तो सकती नहीं। तो मैंने कहा कि एक तो प्लानिंग सेंक्रेटरी को बुलाओ,उसके साथ फाइनेन्स सेक्रेटरी को बुलाओं, रेवेन्यू सेक्रेटरी को बुलाओ, कॉमर्स सेक्रेटरी और फूड सेक्रेटरी को बुलाओ, क्योंकि उसमें यह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी चलता है। हमने बुलाया। पहली दफा 15 साल के बाद ऐसा आपकी कमेटियों में हुआ। मैं यह चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग इसको सोचो और करो। डेमोक्रेसी की तरफ यह खेंचा जा सकता है। उनको बुलाया और सारे आए। चेयरमैन को चिन्ता थी कि अगर वे नहीं आए, तो क्या करेंगे? मैंने कहा कि नहीं, डेमोक्रेसी को इंकार करना बड़ा डेंजर्स है। हम कमेटी हैं और पंजाब में हमने देखा हुआ है कि किसी ने कैसे क्या किया था, वह एक लंबी कहानी है। वे आए। हमने उनको डांट कर पूछताछ की और उसके बाद मुझे सेक्रेटरी, प्लानिंग ने बताया कि आप लोगों ने जो थोड़ा-बहुत खेंचा, हमने टेबल बनवाए, स्कीम कौन-सी है, कब एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने भेजी, कितना टाइम प्लानिंग कमीशन में लगा, पास किया या नहीं किया, फिर कितना टाइम फाइनेन्स में लगा और उसकी वजह क्या है। जब यह मांगा, तो कांप गए।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): आप कितना समय और लेंगे?

DR. M.S. GILL: I am winding it up, Sir. और वह कहने लगे कि आपकी बहुत सारी स्कीमें जल्दी-जल्दी निकाल देंगे, वादा करके गए। उन्होंने कहा कि यह बला क्यों गले लगाते हो, हमारा एक घुसपैठिया इनके पास बैठ गया है। फिर उन्होंने हमारी एग्रीकल्चर की काफी स्कीमें पास कर दीं। मैं तो यह कहता हूं कि एक तो इसलिए इनका एडुक्वेट बजट दो परसेंट से सात, आठ, नौ परसेंट ले जाना होगा, वह देना होगा, हर साल एकदम देना होगा और मिनिस्टरीज़ को एलाउ करो, स्टेट्स को भी एलाऊ करो, क्योंकि हिन्दुस्तान की 80 परसेंट स्टेट्स दुनिया के देशों से बड़ी हैं। उत्तर प्रदेश जितना प्रदेश तो अब भी यूरोप में या और कहीं भी नहीं है। बिहार बहुत है, कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र भी है। आप उनके ऊपर ऐतबार नहीं करते हैं और ये तीन-चार मिनिस्टरीज़ बैठी रहती हैं।

सर, मेरा तो मैसेज यह है कि किसान की दशा के संबंध में यह डिबेट है, नारायणसामी जी ने जो रखी है, वह चाहते हैं कि जो सरकार का झुकाव है, एडमिनिस्ट्रेशन का झुकाव है, जो इनका बर्ताव

है, उसको थोड़ा गांव की तरफ, किसान की तरफ जाना चाहिए। यह मैसेज है, जो बेसिकली वह चाहते हैं। नारायणसामी जी यहां नहीं हैं, मगर मेरा और उनका सुर मिलता है, मेरा ख्याल है कि जो मैं कह रहा हूं, उससे वह कभी भी इंकार नहीं करेंगे, क्योंकि यही उनकी मंशा है। तो इस मंशा को आगे ले जाना है, लेकिन मैं तो यह कहूंगा, मैं तो ऐसे ही घुसपैठिया सा हूं, कि हिम्मत चाहिए, पोलिटिकल विल चाहिए, from the political structure of India. That is what I request and I thank you, Sir.

श्री विजय कुमार रूपाणी (गुजरात): माननीय उपसभाध्यक्ष, जी, मुझसे पहले मेरे दो आदरणीय वरिष्ठ सदस्यों, आदरणीय श्री शरद जोशी जी एवं श्री गिल साहब ने बड़े विस्तार से बात कही है। हमारे यहां पर गुजरात में एक कहावत है, ''जगत का तात, रोवे दिन-रात'', इसका मतलब यह है कि जो किसान है, वह हरदम जगत के कल्याण के लिए, जगत के निमित्त काम करता है। आपने बताया कि कोई किसान समृद्ध नहीं हुआ है, यह बात सच है। ''जगत का तात, रोवे दिन-रात'' यानी वह रोता ही रहता है, जब फसल अच्छी होती है, तब उसे दाम नहीं मिलता है और जब फसल अच्छी नहीं होती है, तब दाम होते हैं। बरसों से यही चला आ रहा है और किसान की स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है।

इस देश में 70 प्रतिशत किसान हैं, हमारा भारत देश, कृषि प्रधान देश है, फिर भी हमारे किसान आज दुखी हैं। पिछले दो-तीन वर्षों में उनमें आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और बार-बार हम उनके बारे में चर्चाएं करते रहते हैं।

श्री नारायणसामी जी ने यह प्राइवेट बिल रखा है, श्री शरद जी ने बताया कि यह बिल कई दिनों से चलता आ रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारी पॉलिटिकल विल ही नहीं है कि किसानों के लिए हम कोई ठोस कदम उठाएं, क्योंकि जब सरकार में कोई प्रश्न उठते हैं तो फाइनांस मिनिस्ट्री उसका अलग जवाब देती है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, फॉरवर्ड ट्रेडिंग, वायदा बाजार की उसके बारे में अलग सोच है, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री की सोच अलग है, कृषि मंत्री भी अलग दिशा में सोच रहे हैं, उसके बारे में अच्छे-अच्छे ऐडिटोरियल्स भी आ गए हैं, सभी लोग अलग-अलग दिशाओं में जा रहे हैं। लेकिन इस सब में किसान तो हमें भूल ही गया है। किसान की जो मूलभूत समस्याएं हैं, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी इन सबके बारे में और किसान के बारे में हम भूल गए हैं और इसीलिए आज यह दशा है।

मैं आज एक ठोस बात बताता हूं कि गुजरात का किसान आज आगे बढ़ रहा है, वहीं महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और पंजाब में किसान आत्महत्याएं कर रहें हैं। गुजरात के किसानों ने इस बार चाइना को कॉटन का एक्सपोर्ट किया और हीरो होंडा स्कूटर का एक रिव्यू आया, उसके अनुसार गत वर्ष गुजरात में पांच लाख हीरो होंडा गांवों में बिके हैं, यानी वहां के गांवों में पैसा आया है और वहां के

किसान समृद्ध हुए हैं। वह इसलिए समृद्ध हुए हैं कि जो पंचामृत की बात है, यानी पहला—ऊर्जा शक्ति, उनके लिए नियमित इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। फसल खड़ी हैं, लेकिन पानी के लिए लाइट नहीं है, पानी नहीं है, ऐसे तो किसान बर्बाद हो जाएगा, उसे नियमित रूप से इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए। इसके लिए गुजरात में किसानों को दस घंटे बिजली मिलती है। पानी की सबसे बड़ी योजना, हमारी जो नर्मदा योजना है, हमने 1200 किलो मीटर की एशिया की सबसे बड़ी कैनल बनाई है और नर्मदा से लेकर कच्छ तक पानी भेजा है। हमारी सरकार ने 2,00,000 चैक डैम बनाए हैं, अभी आपने बताया कि 1000 फीट पानी चढ़ गया है, लेकिन 100 फीट वाला पानी की राह देख रहा है, ''सुजलाम-सुफलाम योजना'' के अंतर्गत हमारे सभी तालाबों में पानी भर दिया गया है। पानी उनकी बेसिक समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी उनकी बेसिक समस्या है, फर्टिलाइजर उनकी बेसिक समस्या है, अगर यह उनको अच्छी तरह से मिल जाएगा तो हमारे भारत के किसान तो ऐसे हैं कि मजदूरी के मामले में उनसे आगे कोई निकल नहीं सकता है। उसके लिए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्हें देने की आवश्यकता है, सरकार को वह पहले देना चाहिए और उसके लिए चाहिए, पॉलिटिकल विल कि हमारे किसानों को हमें समृद्ध करना है।

नारायणसामी जी यह जो बिल लाए हैं, उसके पीछे उनकी इन्टेन्शन, उनका उद्देश्य अच्छा है कि किसानों को सही दाम मिलें, उसे उसकी पैदावार का अच्छा मूल्य मिले, लेकिन पहले उसके लिए पॉलिटिकल विल बननी चाहिए। इसके लिए यह जो बोर्ड बनाया है, उसमें उन्होंने पांडिचेरी को केन्द्र बनाया है, उन्होंने कहा कि उसका हैडक्वार्टर पांडिचेरी होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि यह बात ठीक नहीं है। अगर कोई केन्द्र बनाना है तो उसका हेडक्वार्टर दिल्ली होना चाहिए और दिल्ली की सरकार की पूरी कंसंट्रेशन किसान पर होनी चाहिए। किसान के लिए ही बजट का पूरा सैन्ट्रल थीम बनना चाहिए और जब वह सैन्ट्रल थीम बनेगा, तभी हम किसानों की बात करें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर उनकी फसल नहीं हुई तो उन्हें इन्श्योरेंस मिले।

हमारी यह जिम्मेदारी है, उसके लिए सरकार को यह तय करना चाहिए, पालिटिकल विल से यह तय करना चाहिए कि हम आपको इंश्योरेंस देंगे। अगर फसल हो गई तो उसका सही दाम मिले। इस बारे में भी हमको कमिटमेंट चाहिए। और उसका दाम में इंटरनेशनल मार्केट में और फॉरवर्ड ट्रेडिंग में, क्या करना है क्या नहीं करना है किसान की सुरक्षा के लिए हमारी पूरी योजनाएं बनेंगी, पूरी पौलिसी बनेगी तभी यह सब होगा, ऐसा मैं मानता हूं। चिदम्बरम जी ने जो बात बताई कि जी॰डी॰पी॰ बढ़ रहा है, सेंसेक्स की आपने बात बताई कि चौदह हजार सेंसेक्स हो गया है। लेकिन दुख के साथ मैं कहता हूं कि यह जो हमारी फाइनेंसियल रिपोर्ट आई है दो परसेंट जी॰डी॰पी॰ सिर्फ एग्रीकल्चर में हुआ है, जो सबसे कम है। यानी कि किसान एग्रीकल्चर, इरिगेशन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और इस बारे में हम कोई बोर्ड बनाएंगे तो बहुत सारे बोर्ड पहले से ही हिन्दुस्तान में हैं। जो मिनिस्टर नहीं बने उनको चेयरमैन बना दो तो वह पौलिटिकली एडजस्ट जो जाएगा और

इसके लिए बोर्ड चल रहा है यानी कि पौलिटिकल यूज हो रहा है। तो ऐसा बोर्ड नहीं बनाना है। बोर्ड बनेगा तो उनके एक्सपर्ट होंगे और वे एक्सपर्ट कोई पौलिटिकल नहीं होंगे, ऐसा मेरा सुझाव है। तो किसानों की समस्याओं को जानने वाला, गांव को समझने वाला ऐसा आदमी उनमें चाहिए, वह कैम्बरिज वाला नहीं चाहिए, जिसने अमेरिका में स्टडी किया है ऐसा भी नही चाहिए, हिन्दुस्तान को जिसकी समझ है वैसे व्यक्ति उस बोर्ड में हों। ऐसा बोर्ड बनेगा तभी जो नारायणसामी जी का उद्देश्य है और किसान की हम चिंता कर रहे हैं, तभी हम अच्छी चिंता कर सकेंगे। और मैं मानता हूं कि ...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): आप भी पौलिटिकल बोलते हैं कि मत बनाओ। फिर पढ़ा लिखा भी न हो, पौलिटिकल भी न हो तो कहां से आएगा, कहां से पैदा होगा। आप पौलिटिसिअंस के अंगैस्ट में क्यो हैं, सारी दुनिया बोलती है आप तो मत बोलो।

श्री विजय कुमार रूपाणी: उपसभाध्यक्ष जी, मैं बतला रहा हूं कि पौलिटिकल का मतलब यह नहीं कह रहा हूं, अगर शरद जोशी जी किसानों की समस्याएं जानते हैं तो वे हो सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): वही बोल रहा हूं।

श्री विजय कुमार रूपाणी: लेकिन विजय रूपाणी को किसान की समस्या का पता नहीं है और मेरी पार्टी रूलिंग में है और मुझे आब्लाइज करना चाहती है, पौलिटिकली मुझे साथ में रखना चाहती है, अगर एलाइंस है तो किसको साथ में रखना है इसके लिए उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। शरद जोशी जी हैं, उनको हम बना सकते हैं। तो मैं यह बतला रहा हूं कि अगर रिजर्व बैंक की कोई बात है फाइनेंस से तो हमारे यहां जो कुछ है उनके गवर्नर और एक्स गवर्नर रहे हैं, तो वे हो सकते हैं। उनकी जो नींव है अगर उनको पहचानने वाले लोग होंगे तभी उनका काम रहेगा वरना उसके लिए कुछ फायदा ही नहीं रहेगा। ऐसा मेरा सुझाव है।

दूसरी बात, जो रीवर कनेक्टिविटी की बात है वह सबसे आवश्यक बात है। क्योंकि आज जितनी बारिश होती है उसका 75 परसेंट पानी तो दरिया में चला जाता है और हम पानी के लिए रो रहे हैं, जमीन में पानी नहीं है। तो जल्दी से जल्दी जैसे नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी हो गई वैसे ही जब रीवर कनेक्टिविटी होगी, जब पानी उपलब्ध होगा, बिजली होगी तभी किसान समृद्ध होगा, वरना किसान रोते रहेंगे ऐसा मैं मानता हूं। अन्त में मैं यही कहूंगा कि नाबार्ड, भारतीय खाद्य संस्थान जैसी जितनी भी किसानों के लिए संस्थाएं हैं उन सभी को इस बोर्ड में साथ में रखना चाहिए और फिर सब कलेक्टिंग एफर्ट्स उसमें होंगे तभी इस बोर्ड का उपयोग होगा, ऐसा मैं मानता हूं। अंत में भी मैं यही कहूंगा कि किसानों को सही दाम, युवकों को सही काम, महंगाई पर लगाम और अयोध्या में राम तभी इस देश का—हिन्दुस्तान का उत्थान होगा, ऐसा ही मैं मानता हैं। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): अब व्यास जी बोलेंगे, रूपाणी जी, उससे पहले मैं बतलाना चाहता हूं कि गुजरात में इसलिए 10 घंटा मिलती है कि वहां डबल ग्रिड है, जो पूरे कंट्री में कहीं नहीं है। तो अच्छी बात है। इसलिए आप दूसरे भाषण में बतला दीजिए। गांव में डबल ग्रिड है। इण्डस्ट्री और कंज्यूमर के लिए डॉमेस्टिक के लिए अलग है और किसानों के लिए अलग है।

श्री विजय कुमार रूपाणी: हमारी सरकार ने किया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): यही बतला रहा हूं आपको। व्यास जी बोलिए।

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे बीच में ही बोलने के लिए समय मांगा और आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस विषय पर, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि सभी दलों में से विशेषज्ञ लोगों को लेकर के इसके बारे में विचार होना चाहिए। आज भी यह जो प्रस्ताव लाया गया है, इसको पढ़ते हुए मुझे लगा कि कई विरोधाभासों को मिलकर यह प्रस्ताव बना है। एक ओर तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण, सरकारी अभिकरणों के माध्यम से इन उत्पादों का अनिवार्य क्रय करके तथा भरपूर फसल की स्थिति में ऐसे सरकारी अभिकरणों द्वारा अनिवार्य बाजार हस्तक्षेप करके लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और इस प्रयोजनार्थ एक स्वायत्त बोर्ड का गठन होना चाहिए, ऐसा कह कर रहे हैं और इसकी भाषा समझना भी बड़ा मुश्किल है। हम यदि स्वायत्त बोर्ड कहते हैं, तो उसको कितना अधिकार देते हैं या उस पर दुनियाभर के अंकुश लगाते हैं, यह भी सोचने का विषय है। मुझे लगता है कि इसकी भाषा अपने आप में विरोधी शब्दों से युक्त है। आज चूंकि यहां रसायन मंत्री जी भी उपलब्ध हैं। मैं एक-दो बातें उनके संदर्भ में भी कहना चाहता हूं। इस देश में जब कृषि की बात होती है, तो अनेक समस्याओं में रसायन भी एक प्रमुख समस्या है। मुझे ऐसा बताया गया है कि इसके लिए जो चीजें केमिकल फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए लगती हैं, उसमें बहुत सी विदेशों से मंगानी पड़ती हैं और वे बहुत महंगी होती हैं। इस देश में जो गोबर का खाद है, वह यदि पर्याप्त अनुपात में मिलाया जाता है, तो इस देश की खेती बढ़ती है। इतना ही नहीं, खेती की जो भूमि है, उसकी उर्वराशक्ति भी कायम रहती है, यह सब लोगों का निचोड़ है।

जब हम गोबर खाद की या जैविक खाद की बात करते हैं, तो प्रश्न खड़ा होता है कि हम गौ-रक्षा के बारे में क्या सोचते हैं? इस देश में गोबर का खाद या जैविक खाद जो भी है, इसका बहुत बड़ा संबंध गौ-परिवार और उसके संरक्षण से है मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक इसमें केन्द्रीय स्तर पर कानून नहीं बन सका है। हमारे देश में गौ-परिवार की रक्षा होनी चाहिए। मुझे याद है, पिछले दिनों मैंने कृषि मंत्री महोदय से भी इसके बारे में कहा था। आपने एक वक्तव्य में यह कहा है, जो कि स्वागत योग्य है। इस देश में कृषि की आय में गौ का पक्ष जोड़ा है और भी काम चला है, ऐसे लोगों की आत्महत्याओं की संख्या कम है। मैं इस बात पर आपका ध्यान

आकृष्ट करना चाहता हूं कि गौ से संबंधित जो भी काम हमारे गांव में चल सकते हैं, गोबर-खाद से जुड़ सकते हैं, गौ-मूत्र से जुड़ सकते हैं, ऐसे सब कामों से आज देश में अनेक प्रयोग हो रहे हैं। लोग उसमें से आर्थिक कमाई भी कर रहे हैं। गौ से संबंधित जो उत्पाद है, गोबर खाद है, उसमें से उत्पन्न होने वाले जैविक खाद है, गौ-मूत्र से बनने वाली दवाएं हैं, ऐसी अनेक चीजों का जिन किसानों ने अवलम्बन किया है, उनकी आत्महत्याओं की संख्या में कमी आयी है, ऐसा कृषि मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहीं कहा है।

मै सोचता हूं कि जब हम इन सारी बातों पर विचार करते हैं, तो गौ-रक्षा का विषय बड़े महत्व का है। मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट को गुजरात के विषय में, उन्होंने जो सम्पूर्ण गौ-वंश पर बंदी को जो मान्यता दी है, उसके लिए यहां पर उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं सोचता हूं कि हमें देश भर में यदि गांवों पर विचार करना है, किसानों की समस्याओं पर विचार करना है, तो इस गौ-वंश के रक्षण पर विचार करना पड़ेगा। यह कोई सम्प्रदाय या जाति से संबंधित विषय नहीं है। यह इस देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय है, इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जल का संबंध है। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं। जब नागपुर के बाद उधर जाता हूं और कुछ तालाब देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। राष्ट्र में तालाब खत्म होते दिखाई दे रहे हैं बड़े शहरों में तालाब पाटे जा रहे हैं, जल का संरक्षण नहीं हो रहा है और जो यंत्रों से बहुत गहरे कुएं खोदे जा रहे हैं, उनके द्वारा पानी नीचे ही चला जा रहा है। यदि हम तालाबों को गहरा करते हैं, तालाबों को बड़ा करते हैं, तो जल का संरक्षण होगा, कुओं में पानी आयेगा, लोगों को अच्छा पानी मिलेगा। ऐसी अनेक समस्याएं हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि यदि वह बोर्ड गठित होता है।...तो इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा ऐसा निवेदन है कि श्री शरद जोशी-अभी-अभी स्वामीनाथन जी यहां आए हैं तथा गिल साहब ने भी बहुत सी अनुभव की बातें कहीं हैं। ऐसे सब लोगों को मिलाकर, स्वायत्त बोर्ड यदि बनता है, तो उसकी एक सलाहकार समिति बनाना योग्य होगा। उसमें पार्टी का विचार नहीं करना चाहिए। जैसा मेरे साथी ने कहा है, वह कृषि का विशेषज्ञ होना चाहिए, गांव का रहले वाला होना चाहिए, गौ परिवार से संबंधित विषयों का जानकार होना चाहिए, जो स्वदेशी रसायन हैं, उससे भी संबंधित व्यक्ति होना चाहिए। इन कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाते हुए, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं आपनी बात सदन में रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं माननीय सदन के उन सभी सदस्यों का अपनी तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। जिसमें हमारे साथी आदरणीय वी॰ नारायणसामी जी यहां पर उपस्थित नहीं हैं, जिन्होंने यह बिल 24 नवम्बर 2006 को टेबल पर रखा। इस पर पिछले सत्र में दो दिन तथा इस सत्र में एक दिन बहस हुई है। इसमें डा॰ प्रभा ठाकुर,

प्रो॰ राम देव भंडारी, श्री संतोष बागड़ोदिया, श्री अर्जुन कुमार सेनगुप्त, श्री सुरेश भारद्वाज, श्री मतिलाल सरकार, श्री मंगनी लाल मंडल, श्री सी॰ रामचन्द्रैया, डा॰ ई॰एम॰ सुर्दशन नाच्चीयप्पन, श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया, श्री बृजभूषण तिवारी, श्री राजनीति प्रसाद, श्री मोइनुल हसन और श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी, डा॰ वरुण मुखर्जी तथा श्री शरद अनंतराव जोशी जी ने भाग लिया और आज हमारे माननीय सदस्यों ने अपनी बात यहां पर रखी है जिसमें आदरणीय गिल साहब भी हैं और विजय कुमार जी भी हैं। उसके साथ ही हमारे अन्य कई साथियों ने भी यहां पर अपनी बात रखी है। उनके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय महोदय, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य एक स्वायत्त बोर्ड की स्थापना के द्वारा किसानों को लाभकारी मूल्य दिलवाना है। ऐसा बोर्ड प्रत्येक बुवाई मौसम से पहले परन्तु भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न लाभकारी मूल्यों का निर्धारण करेगा। इसके अलावा देश के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी भागों में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करने के लिए भी कहा गया है। बोर्ड का मुख्यालय में पांडिचेरी में हो, इस संबंध में हमारे माननीय साथी श्री वी॰ नारायणसामी जी ने अपनी भावना व्यक्त की, जिसके संबंध में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पांडिचेरी ने होते हुए दिल्ली में होना चाहिए। माननीय महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनमें उन्होंने अपने अच्छे अनुभवों से सदन को अवगत कराया है। हमारे कृषि मंत्रालय को इससे काफी ताकत मिलेगी। इस काम को ताकत के साथ और आगे बढ़ाने के लिए हमारी यूपीए सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। आदरणीय साथियों, बिल के प्रस्तुतीकरण के समय हमारे माननीय साथी नारायणसामी जी ने किसानों की समस्याओं, जैसे बैंकों से पर्याप्त ऋण,सरकारी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, विपणन सुविधाओं तथा अधिक विनिवेश के बारे में उल्लेख किया। उन्होंने कृषि स्नातकों के बारे में भी अपनी चिंता व्यक्त की कि जो कृषि स्नातक हैं, उनका किस तरह से उपयोग कर ज्यादा से ज्यादा बल दिया जाए। इसमें मुख्य तौर पर निम्न बिन्दुओं को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

पहला—मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में खुले बाज़ार के दामों को भी ध्यान में रखना होगा। दूसरा—किसानों को ऋण की राहत दिलाना, तीसरा—उत्पादन का सही मूल्य दिलाना, चौथा—विशेष आर्थिक क्षेत्र—एस॰ई॰जेड॰ के लिए उपजाऊ ज़मीन के अधिग्रहण पर पाबंदी लगाना, पांचवां—मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में किसानों को समुचित प्रतिनिधित्व दिलाना, छठा—सार्वजनिक और निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, सातवां—सिंचित क्षेत्र में वृद्धि एवं उर्वरकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, आठवां—उचित ऋण सुविधा एवं फसल बीमा योजना का लाभ प्रदान करना, नवां-किसानों द्वारा आत्महत्या को रोकने का उपाय, दसवां-उन्होंने यह बात कही थी कि कृषि निवेश को बढ़ावा देना एवं ब्याज दर में कमी करना—ये सारी चीज़े उसमें हैं। उसके साथ ही माननीय सदस्यों की भावना थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया भी किस तरह से होनी चाहिए, उस प्रक्रिया के संबंध में माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने अपनी बात रखना चाहता हूं कि इस बारे में माननीय सदस्यों

श्री नारायणसामी जी, प्रभा जी, भंडारी जी, श्री बागड़ोदिया जी, श्री तिवारी जी, मोइनुल हसन जी और श्री अर्जुन कुमार सेनगुप्त जी ने बेहतरीन सुझाव यहां पर रखे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर, राज्य सरकार तथा केंद्रीय मंत्रालयों की सलाह पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। कृषि मूल्य लागत आयोग में मुख्य रूप से निम्न मुद्दों को ध्यान में रखकर ही सब कुछ तय किया जाता है और निश्चय किया जाता है —उसमें पहला है उत्पादन की लागत। कृषि मूल्य आयोग इस बात को तय करता है कि किस तरह से, कितनी चीज़ें मेहनत में लगती हैं, खेती के काम में आती हैं, उसकी अलग-अलग किस तरह से कीमत खर्च होती है, तो पहला है उत्पादन की लागत। दूसरा—निवेश मूल्यों में बदलाव, तीसरा- निवेश उत्पादन मूल्य में समानता, चौथा —बाज़ार मूल्य में प्रवृत्तियां, पांचवां—मांग और आपूर्ति की स्थिति, छठा—अंतर्फसल मूल्य समानता, सातवां-औद्योगिक मूल्य लागत ढांचे पर प्रभाव, आठवां—सामान्य स्तर पर प्रभाव, नवां—जीवन निर्वाह लागत पर प्रभाव, दसवां—अंतर्राष्ट्रीय विपणन मूल्य की स्थिति के बारे में और ग्यारहवां—किसान द्वारा भुगतान किए गए मूल्य तथा प्राप्त किए गए मूल्यों के माध्यम से समानता, व्यापार की शर्तें—ये सारी चीज़ें उसमें तय होती हैं। उसके बाद मूल्य आयोग में पूरा सपोर्ट प्राइस भी तय होता है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, कृषि मूल्य लागत आयोग सात सदस्यों का होता है। जो आयोग बनता है, उसमें एक अध्यक्ष होता है और एक सदस्य सचिव तथा पांच सदस्य, दो सरकारी एवं तीन गैर सरकारी हैं और गैर सरकारी सदस्य कृषक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है और आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें तैयार करते समय सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखकर ही ये सारी चीज़ें तय की जाती हैं। उसमें पूरे देश के लिए समान न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, कोई क्षेत्रवार या राज्यवार नहीं, यह सपोर्ट प्राइस पूरे देश के लिए तय होता है, जिसमें हर राज्य वह फसल पैदा करे, जिसमें उनको तुलनात्मक फायदा ज्यादा से ज्यादा होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य अत्यधिक उत्पादन की स्थिति में, किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक गारंटी का काम करता है। यदि किसानों को उसके उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ज्यादा कीमत बाज़ार में मिलती है, तो वह उस कीमत पर उसे बेचने के लिए स्वतंत्र है। वह किसी भी मंडी में, किसी भी मार्केट में जाकर अपना उत्पादन, अपने खाद्यान्न को बेच सकता है। उस बात को लेकर जो रिपोर्ट होती है, उसमें भी पांच चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, उसके अलग-अलग भाव मंगाए जाते हैं —खरीफ के सीज़न का रेट अलग कमेटी तय करती है, रबी की फसल का रेट अलग कमेटी तय करती है, जूट का भी अलग कमेटी, शुगरकेन का भी एक अलग कमेटी और नारियल का भी अलग कमेटी, तो साल भर में ये सारी पांच चीज़ें मंगवा कर फिर डिसाइड होता है कि मूल्य आयोग को किस तरह से वह सपोर्ट प्राइस तय करना है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी,

सरकार प्रमुख कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम, भारतीय पटसन निगम, नेफेड तथा तम्बाकू बोर्ड के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर कृषि नीतियों का प्रापण भी आयोजित करती है। महोदय, इसके साथ ही माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें और बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं और यह न्यूनतम समर्थन मूल्यों तथा उत्पादन लागत के मामले में भी सारी चीजें बताई हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करना चाहता हूं,, जैसा कि मैंने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में उत्पादन लागत के अतिरिक्त बहुत से दूसरे तथ्यों को भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए उत्पादन लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच एक मैकेनिकल लिंकेज स्थापित करना ठीक नहीं होगा। मैं फिर भी इस बारे में माननीय सदन के समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। महोदय, जैसा कि वर्ष 2006-07 में गेहूं के उत्पादन में अलग-अलग राज्यों में लागत दर्शाई है। जैसे कि हरियाणा में 538 रुपए प्रति क्विंटल है, पंजाब में 534 रुपए प्रति क्विंटल है और उत्तर प्रदेश में 574 रुपए प्रति क्विंटल है। जो कि गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपए 750 प्रति क्विंटल से काफी कम है। इसी प्रकार धान की उत्पादन लागत वर्ष 2006-07 में आन्ध्र प्रदेश में 580 रुपए प्रति क्विंटल, पंजाब में 497 रुपए प्रति क्विंटल और उत्तर प्रदेश में 527 रुपए प्रति क्विंटल थी। ...(व्यवधान)...

श्री जयन्ती लाल बरोट (गुजरात): माननीय मंत्री जी, आप गुजरात का रेट भी बतला दीजिए।

श्री कांतिलाल भूरिया: यह विभिन्न राज्यों का रेट इस प्रकार से दिया गया है। इसी तरह से महोदय, माननीय जोशी जी ने अपनी भावनाओं से सदन को अवगत करवाया है। उन्होंने गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य प्रचारित करने के लिए भी कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा इस्तेमाल की गई लागतों पर सवाल उठाया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जोशी जी यह बताना चाहता हूं मैंने इस तथ्य का पता लगवाया है तथा कृषि लागत और मूल्य आयोग ने बताया है कि वर्ष 2004-05 के लिए गन्ने के संबंध में दैनिक श्रम की प्रति हैक्टर लागत आन्ध्र प्रदेश में रुपए 12713, कर्नाटक में 12537, महाराष्ट्र में 11851, हरियाणा में 6159 और उत्तर प्रदेश में लागत 3441 थी। महोदय, पारिवारिक श्रम की प्रति हेक्टर लागत, आन्ध्र प्रदेश में जिस तरह से मजदूरों के परिवार के लोग जिस तरह से मिलकर श्रम करते हैं, उसका भी उसमें लगाया गया है कि आन्ध्र प्रदेश में रुपए 2494, कर्नाटक में 5737, महाराष्ट्र में 4846, हरियाणा में 3966 तथा उत्तर प्रदेश में यह लागत रुपए 4988 थी। यह फर्क राज्यवार पारिवारिक श्रम में दैनिक श्रम के अनुपात में अंतर के कारण भी है। लेकिन उन क्षेत्रों में खासकर वर्षा आधारित जो क्षेत्र आते हैं, उनमें आप देखेंगे कि जहां उत्पादकता कम होती है, प्रति इकाई न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा होती है।

श्री शरद अनंतराव जोशी: आन्ध्र प्रदेश में आंकड़े आ गए, इसका मतलब वह सही है, ऐसा नहीं होता है। यह averaging method की जो गलती मैंने बताई है, वह गलती है। चार हजार में गन्ने की, खेती की मजदूरी आप करके दिखाओगे?

श्री कांतिलाल भूरिया: मैं आप सबकी भावनाओं के अनुसार ही बता रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): बोलने दीजिए, इनको बताने दीजिए।

श्री कांतिलाल भूरिया: और पूरे देश की जो सारी चीजें हैं, हम उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। हमारी यूपीए सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारी यूपीए की अध्यक्षता श्रीमती सोनिया जी ने कहा है कि हम लोग यह कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): सुनिए, आप लोग अपनी बात कह चुके हैं। अभी मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री कांतिलाल भूरिया: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि मुख्य रूप से कृषि बागवानी जिंसों और जो चीजें जल्दी नष्ट होती हैं, उनका भी इसमें समावेश किया गया है। हमारी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बाजार हस्तक्षेप स्कीम यानी MIS चलाती है, जिसके अंतर्गत बागवानी की जिंसों तथा अन्य कृषि फसलें जो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है ताकि किसानों को राहत दी जा सके। अधिकतम आगमन अवधि के दौरान या बंपर फसल के मौके पर जब मूल्य नीचे गिरते हैं, तो बागवानी, कृषि जिंसों के उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि एवं सहकारिता विभाग ने राज्य सरकारों के अनुरोध पर बाजार हस्तक्षेप स्कीम लागू की है। अभी तक इसमें जो चीजें शामिल की गई हैं, उनमें सेब, कीनू, माल्टा, लहसुन, संतरे, अंगूर, मशरूम, लौंग, काली मिर्च, अनानास, अदरक, प्याज, आलू, लाल मिर्च, ईसबगोल, पाम ऑयल, सुपारी, धनिया इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ ही इस स्कीम के तहत कुल नुकसान का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 50 प्रतिशत राज्य सरकार को वहन करना होता है, जब कि उत्तर-पूर्वी राज्यों को केवल 25 प्रतिशत नुकसान वहन करना होता है, बाकी 75 प्रतिशत नुकसान केन्द्र सरकार वहन करती है। इस प्रकार करीब सारी फसलों के लिए इस तरह के समर्थन का प्रावधान उसमें रखा गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कृषि ऋण के बारे में भी अपनी भावनाएं यहां पर प्रकट की है और बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने दिए हैं। इस बारे में माननीय सदस्यों सर्वश्री नारायणसामी जी, प्रभा जी, भंडारी जी, बागड़ोदिया जी, भारद्वाज जी, मतिलाल सरकार, नाच्चीयप्पन जी, तिवारी जी, राजनीति प्रसाद जी आदि माननीय सदस्यों के सुझाव काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 18 जून, 2004 को कृषि क्षेत्र के लिए एक व्यापक ऋण नीति की घोषणा की गई। इस नीति के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में ऋण परिवार को प्रति वर्ष 30 प्रतिशत की दर से बढ़ाने का ऐलान UPA सरकार ने किया था। सरकार की इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू के कारण ऋण की मात्रा 2 वर्षों में दुगुनी हो गई और वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में वर्ष 2007 और 2008 के

लिए 2,25,000 करोड़ रुपए के ऋण देने का लक्ष्य रखा है और करीब 50 लाख नए किसानों को बैंक की सुविधा दी जाएगी। हमारी UPA सरकार के वित्त मंत्री जी ने इस ऋण व्यवस्था का ऐलान किया था। इसके मुताबिक पूरे देश में किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कृषि निवेश के मामले में भी अपनी बात यहां पर रखी है। श्री नारायणसामी और दो अन्य माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इस बारे में मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि को एक महत्वपूर्ण स्थान देने पर जोर दिया है और साथ ही वर्ष 2007-08 के बजट के अनुसार कृषि और उससे संबंधित मंत्रालयों जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई और खाद्य प्रसंस्करण के लिए 61,425 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कि वर्ष 2006-07 के मुकाबले 33 प्रतिशत ज्यादा है। यह यूपीए सरकार की एक उपलब्धि है। जगह-जगह जितनी परेशानी है, उसको दूर करने के लिए हमारी एक बहुत बड़ी लोक कल्याणकारी योजना चल रही है और प्रधान मंत्री जी अपने खुद के नियंत्रण में सारा काम ले रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा लिजिए कि यूपीए सरकार कितनी चिन्तित है, कितनी सतर्क है कि हम किस तरह से किसानों को फायदा पहुंचा सकते हैं। यूपीए सरकार किसानों की यह सारी तकलीफ जानती है और हमारे यूपीए के गठबंधन वाले जितने लोग हैं, वे समझते हैं और बाकी आप सब इस मामले को जानते हैं।

साथ ही विशेष आर्थिक जोन के मामले में भी माननीय सदस्यों ने अपनी बात यहां रखी। यह भी एक चिन्ता जाहिर की है कि एसईजेड का किस तरह से इस्तेमाल हो, लोगों को इसका फायदा कैसे हो, कैसे किसानों की जमीन बचाई जाए, उनको कैसी जमीन दी जाए। इसके लिए एक गाइडलाइन तैयार की गई है। उस गाइडलाइन के तहत ही केन्द्र सरकार राज्यों को अनुमति देती है और उसके प्रस्ताव के अनुसार कार्रवाई करने का काम भी हाथ में लिया गया है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय नारायणसामी जी और हमारे भंडारी जी, बागड़ोदिया जी और मोहसिना हसन जी और डा॰ मुखर्जी के सुझावों के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि विशेष आर्थिक जोन परियोजना की मंजूरी के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार उसमें मुख्यत: जो चिन्ता हमारे सदस्य करते थे कि किसानों से उपजाऊ जमीन न लें, इसके लिए एक गाइडलाइन बनी है कि मुख्यत: बंजर, ऊसर भूमि तथा यदि आवश्यक हो, तो एकल फसल भूमि को ही विशेष आर्थिक जोन के लिए प्राप्त किया जाए। भारत सरकार ने यह गाइडलाइन दी है कि किसानों का नुकसान न हो, किसानों को किसी तरह से बेदखल न किया जाए। जो अनुपजाऊ जमीन हो, वैसी जमीन को लेने का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम क्षेत्र में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो-फसली कृषि भूमि को भी लिया जा सकता है, लेकिन यह अपेक्षित कुल भूमि का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा

गया है। साथ ही एसईजेड बनाने वाली संस्थाओं या संगठन द्वारा विस्थापित लोगों के लिए उपयुक्त राहत तथा पुनर्वास प्रदान करने के बारे में भी हमारी यूपीए सरकार के प्रधान मंत्री जी ने पहली बार यह सारी चिन्ता की है। एक्वायर करने का काम तो सरकार करती थी, मगर विस्थापित लोगों को बसाने का कानून अभी तक नहीं बना था। हमारी यूपीए सरकार के प्रधान मंत्री जी ने उस कानून को बनाने के लिए एक निर्देश दिया। उसका काम भी बड़े जोरों से चल रहा है। आपके सामने एक अच्छी बात हुई है, हम उसको भी आपको बताना चाहते हैं। इसके साथ ही सभी माननीय सदस्यों ने आज सुबह भी किसानों की आत्महत्या के बारे में चिन्ता प्रकट की और हमारे कृषि मंत्री जी ने सारा जवाब दिया। अब पूरा देश इस समय चिन्तित है और इस बात को आप जानते हैं कि 1981 से लेकर आज तक की उन्होंने तो फिगर बताई थी और इसके साथ ही बीच में कितनी सरकारें बदलती रहीं और जो स्थिति बननी चाहिए थी, वह नहीं बन पाई। पर यूपीए सरकार के आते ही यह सारी स्थिति सामने आई और प्रधान मंत्री जी ने इस बात को विशेष मीटिंग बुला कर समझा और किसानों की तकदीर और तस्वीर कैसे बदली जाए, उनको किस तरह से मुसीबत से उबारा जाए, जब तक कोई ऐसा ठोस काम नहीं होगा, तब तक हम किसानों का भला नहीं कर सकते। उस बात के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने और हमारी यूपीए की चैयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने विशेष चिन्ता लगा कर इस बात के लिए कहा कि किसानों के लिए एक तरीका निकाल कर इसको करना चाहिए। इस मामले में माननीय नारायणसामी जी और अन्य माननीय सदस्यों ने भी यहां पर मामला उठाया, सुबह भी प्रश्न के माध्यम से कई सदस्यों ने अपनी बात, अपनी भावना यहां रखी। इसके साथ ही हम आगे बढ़े हैं, अच्छा काम हुआ है। कई लोगों की आत्महत्या करने की तरफ बढ़ने की एक मानसिकता, एक मनोवृत्ति थी, उसको रोकने का भी एक अच्छा उपाय किया है और लोगों को विश्वास दिलाया है कि निश्चित ही सारी स्थिति थम रही है और हम उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। माननीय नारायणसामी जी ने यह मामला उठाया था कि किसानों द्वारा आत्महत्या सरकार और देश के लिए विशेष चिन्ता का विषय है। इसलिए हमारी सरकार ने किसानों की दशा में सुधार लाने हेतु कृषि क्षेत्र को शक्ति प्रदान करने को उच्च प्राथमिकता दी है। साथ ही जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि हाल ही में आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल, चार राज्यों के 31 जिलों में यह समस्या ज्यादा बढ़ रही थी। किसानों की मानसिकता इस तरह की बन रही थी, वह आत्म-हत्या की तरफ ज्यादा बढ़ रही थी, उसे रोकने के लिए उनको विश्वास में लिया। हमारे प्रधान मंत्री स्वयं वहां गए, वहां उनके सामने ऐलान कर के उनको एक बात याद दिलाई और उन्हें हिम्मत दिलाई तथा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष पैकेज की मंजूरी दी। इस विशेष पैकेज की मंजूरी के साथ ही इसका कार्यान्वयन तीन वर्ष की अवधि में पूरा किया जाएगा तथा इसमें तत्काल एवं मध्यम समय-सीमा के उपाय भी सोचे गए हैं क्योंकि उनको कृषि के साथ-साथ दूसरा साइड-बिजनेस भी देना बहुत जरूरी है। हम कृषि के साथ महिलाओं व दूसरों के लिए पशु-पालन, मछली-पालन और दूसरा छोटा उद्योग जोड़कर उनको दे रहे हैं। इससे वे आत्म-निर्भर

बनेंगे और उनके लिए दाल-रोटी व रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था हो सकती है। इस बारे में भी हमारे प्रधान मंत्री जी ने दूरदृष्टि रखकर यह सारा फैसला किया है और उसका दूरगामी परिणाम आगे दिखायी देगा। महोदय, एकदम से जादू की डंडी घुमाने से सारा मामला खत्म हो जाएगा, ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन यह इतने लंबे समय का मामला है, इसलिए इस दिशा में धीरे-धीरे हम बढ़ते हुए आगे आ रहे हैं। इससे निश्चित ही हम इस कार्य में सफल होंगे और हमारी यू॰पी॰ए॰ सरकार इस के लिए वचनबद्ध है। इसके साथ ही, इस पैकेज की राशि भी मैं आपको बताना चाहता हूं।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो पैकेज दिया है, उस में 16978 करोड़ रुपए की राशि दी है जिस में अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता की राशि 10579 करोड़ रुपए और 6399 करोड़ रुपए का ऋण है। महोदय, 10579 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में देकर उनकी वित्तीय हालत व तस्वीर बदलने का एक अच्छा निर्णय प्रधान मंत्री जी ने लिया है। इसे मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे सदन के माननीय सदस्य निश्चित रूप से इसके लिए प्रधान मंत्री जी को बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे।

इसके साथ ही मैं फसल बीमा के बारे में भी उल्लेख करना चाहूंगा। हमारे किसान फसल बोते हैं, लेकिन बारिश नहीं आती और कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा व और कई प्रकार की बातें होती हैं। इसके लिए भारत सरकार ने जोखिम प्रबंध के तौर पर फसल बीमा का एक काम शुरू किया है। भारत सरकार के द्वारा रबी के लिए 1999-2000 से भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के द्वारा 23 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों में यह लागू हो गया है। उसके साथ राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है। पिछले 14 फसल मौसमों, 1999-2000 से 2006 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 83327 करोड़ की बीमा राशि से लगभग 1390 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में 8 करोड़ 58 लाख किसानों को राहत दी गयी है, उससे फायदा पहुंचाया गया है। इस फसल बीमा काम के संबंध में हमने आपको अवगत कराया है। इसके साथ ही और भी कई माननीय सदस्यों ने अपने दूरदृष्टि के विचारों से अवगत कराया ताकि किसानों को अनुसंधान का लाभ मिले। हम किस तरह नए-नए तरीकों से बीज की प्रजातियां तैयार कर लोगों को दें, कैसे उनकी मदद करें जिससे प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, प्रौद्योगिकी उत्पाद के रिफाइनिंग तथा डिमांस्ट्रेशन, शोधन तथा निरूपण को लक्षित कर कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हो। महोदय, हमारे देश में 576 जिले हैं जिनमें से 550-600 जिलों के आसपास हमने कृषि विज्ञान केन्द्र से जोड़ दिए हैं ताकि हमारी भारत सरकार के जितने भी तरीके हैं, कृषि के क्षेत्र में जो नए-नए टैक्नॉलोजी मिशन डवलप हुए हैं, उससे हम किसानों को अवगत कराए। जो किसान पुरानी परंपरागत खेती में जुटे हुए थे, उन्हें एक नए युग में लाने का काम हमारे कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न पद्धतियों तथा स्थानीय विशेषता की पहचान हेतु 4109 फार्म परीक्षण, कृषकों के खेतों पर उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों की उत्पादन संभावनाओं की स्थापना हेतु 53974 फ्रंट लाइन प्रदर्शन शुरू किया है

4.00 P.M.

और 9.75 लाख किसानों तथा 0.97 लाख विस्तारित कर्मियों को भी प्रशिक्षण दिया है। उससे हमारे कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले जो किसान हैं उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। उनको अलग से हर तरह से डेमोन्स्ट्रेशन करके बता रहे हैं। हमारी यू॰पी॰ए॰ सरकार ने यह भी एक नया कार्यक्रम देकर किसानों को विश्वास में लिया है, ताकि उनको नए युग में प्रवेश करने का पूरा-पूरा मौका मिले। यह काम यू॰पी॰ए॰ सरकार कर रही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अब बीज की भी बात है। जब हमारे किसानों को अच्छे बीज मिल जाएंगे, तो निश्चित ही उससे अच्छा उत्पादन होगा। अगर बीज में कुछ खराबी हो या बोने के बाद एक बार वह सड़ गया या उग नहीं पाया, तो किसान का पूरा साल बिगड़ेगा। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके लिए भी, भारत सरकार, यू॰पी॰ए॰ सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग से विभिन्न फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का विकास किया जा रहा है। उसमें करीब 4 हजार के आसपास प्रजातियां तैयार की गई हैं। वे प्रजातियां हमारे किसानों तक पहुंचे और वे उनसे अच्छा उत्पादन ले सकें। सरकार लोक प्रणाली के अंतर्गत उगाए गए बीजों को प्रायोजित करना जारी रखती है। इस दिशा में 2007-08 के बजट में वैंचर कैपिटल के माध्यम से बीज अनुसंधान विकास के लिए कर में छूट का भी विशेष प्रावधान किया गया है। उसमें भी किसानों को छूट दी गई, ताकि उनको बीज खरीदने में किसी प्रकार की दिक्कत न पड़े। इसके लिए भी प्रधान मंत्री जी ने एक विशेष काम भारत सरकार की तरफ से किया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2007-08 से पूर्व पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को अच्छे बीज डेवलेप करने के लिए 50 करोड़ रुपए का अनुदान पहले दिया था। उसके बाद इस साल 2007-08 के दौरान पंत कृषि विश्वविद्यालय, पंत नगर तथा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर को 50-50 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है, ताकि वे अपने स्तर पर अच्छे बीज बनाएं तथा जो भी कमी उनकी लैबोरेटरीज बगैरह में हो, उसको वे स्वयं पूरा करें। किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जिससे हम समय पर अच्छे बीज तैयार करें, अच्छी किस्मों को तैयार करें। इसके लिए प्रधान मंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने 50-50 करोड़ रुपए इन दोनों विश्वविद्यालयों को दिए, ताकि वे बड़े पैमाने पर अपना काम शुरू करें, ताकि आने वाले समय में किसानों को अच्छी नस्ल के बीज जरूरत के वक्त उपलब्ध हो सकें।

इसके साथ ही माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने और भी अपनी भावनाएं यहां पर रखीं। अब त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की बात है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम किस तरह से होना चाहिए, ताकि किसानों को समय पर ये सारी चीजें मिलें। हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि गुजरात में आपकी नर्मदा नदी को कई हजार किलोमीटर की नहर ले जाकर कच्छ तक पहुंचाया। यह भी केन्द्र सरकार के सहयोग से हो पाया है। केन्द्र सरकार ने जब उसका सारा पानी मध्य प्रदेश में रुका और अब आपके गुजरात में सारा पानी जा रहा है। आप उसका फायदा ले रहे

हैं। आप यह नहीं कह सकते कि हम ही यह कर रहे हैं, यह हमारी गुजरात का ही है। यह पूरे देश की सम्पत्ति है और पूरा देश कर रहा है। भारत सरकार ने आपके ...(व्यवधान)...

श्री विजय कुमार रूपाणी: सर, ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): आपने बोल लिया ...(व्यवधान)... आप इनको इन्टरप्ट मत करिए, प्लीज।

श्री कांतिलाल भूरिया: गुजरात की जनता को राहत देने के लिए, किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट भारत सरकार ने पहले मंजूर करके दिया। आज वह बनकर तैयार होने जा रहा है। वह देश की बहुत बड़ी सम्पत्ति है। हमारे गुजरात के किसान मालामाल हों, उनके घर में खुशहाली आए। हम उनको सदन के माध्यम से यह शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथ ही त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शीर्षतम सम्भावित समय में अधिक सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम ...(व्यवधान)...

श्री विजय कुमार रूपाणी: सर, ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): यह फेयर बात नहीं है। ...(व्यवधान)... जब आप बोले, तो यह चुप थे ...(व्यवधान)... आप इनको बोलने दीजिए ...(व्यवधान)... देखिए, इस बिल को खत्म करना है ...(व्यवधान)... इनको बोलने दीजिए ...(व्यवधान)... यह जो बोलते हैं, इनको बोलने दीजिए ...(व्यवधान)... यह कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री विजय कुमार रूपाणी: यह कोई भी बात बोलें? ...(व्यवधान)... यह गलत बात है ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): इनको बोलने दीजिए।...(व्यवधान)... अनपार्लियामेंटरी बात नहीं बोल रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री विजय कुमार रूपाणी: अगर यह सब सरकार करती है ...(व्यवधान)... इसकी जरूरत ही नहीं है ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): इनको बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)... इनकी जो मरजी है, बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)... आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ...(व्यवधान)... आप बोलिए।

श्री कांतिलाल भूरिया: आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि इस त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को किस तरह से यू॰पी॰ए॰ सरकार ने पूरे देश में फैलाने का काम किया ताकि पूरे देश के किसानों को इससे लाभ मिले।

महोदय, इसके लिए 2006-07 में 7121 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में 2007-08 के लिए परिव्यय बढ़ाकर 11000 करोड़ रुपए किया जाएगा। यह त्वरित सिंचाई योजना में है। उसमें से राज्य सरकारों के लिए अनुदान का हिस्सा 3580 करोड़ रुपए होगा..। जो 2,350 की तुलना में बढ़ा दिया गया है। यह हमारी यूपीए सरकार की दूरदृष्टि है, काम करने का तरीका है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, फिर माननीय सदस्यों ने किसानों के उत्पादन के विपणन की बात कही कि उनको विपणन की सुविधा देना जरूरी है। इसके लिए भी यूपीए सरकार ने प्रयास किया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए परिवर्तन किए जा रहे हैं। अनेक राज्य सरकारों तथा संघशासित प्रदेशों ने विपणन प्रणाली में पुन: नियमितता लाने के लिए कृषि उत्पादन विपणन समिति के अधिनियम में संशोधन किया है। जनवरी, 2007 तक 25 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों ने पूर्ण या आंशिक रूप से संशोधन कर लिए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों से अनुरोध करने के बाद यह सारा काम हो सका है कि 23 राज्यों और 2 संघशासित प्रदेशों ने अपने यहां अधिनियम में संशोधन किए हैं। बाकी पांडिचेरी, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल, गोवा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड द्वारा अधिनियम में संशोधन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे सुधारों के फलस्वरूप बाजार में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ी है एवं किसानों को अच्छे मूल्य प्राप्त हुए हैं। आज किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत मिल रही है। यूपीए सरकार चाहती है कि किसानों को अच्छी कीमत मिले, क्योंकि उनकी जो लागत है, उनकी जो मेहनत है, उनके पेशे में उनको जो तकलीफ होती है, उसे ध्यान में रखना होगा जब एनडीए की सरकार थी, तो गेहूं की सपोर्ट प्राइस 580/- रुपए थी, आज हमारी सरकार में 750/- रुपए सपोर्ट प्राइस है, अब 850/-रुपए हो गई है, इसे हमने बढ़ाकर 850/-रुपए किया है। आज आप पूरे देश में देखें मध्य प्रदेश का गेहूं 800/-रुपए से ऊपर ही बिक रहा है, 1,000/- रुपए या 1200/-रुपए से ऊपर ही बिक रहा है। ...(व्यवधान)... आज किसानों को जयपुर में गेहूं की कीमत 1700/-, 1800/- रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रही है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, यह यूपीए सरकार की दूरदृष्टि है। यह हमारी उपलब्धियां हैं, इसे आप देखें तो सही।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे काफी माननीय सदस्यों ने हमारी बात को ध्यान से सुना है और हमने भी उनकी बात बड़े ध्यान से सुना। उनकी एक-एक बात हमने नोट की है। इसमें जो आपके अमूल्य सुझाव हैं, उन सुझावों को हम अपनी कार्य-योजना में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो भी संभव हो सकता है, उससे किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम यूपीए सरकार ही करेगी। यह हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। आप चिंता न करें। ...(व्यवधान)...

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, विभिन्न कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने हेतु एक तंत्र पहले ही मौजूद है। अत: मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य श्री नारायणसामी जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य पहले ही पूरा किया जा रहा है। अभी माननीय नारायणसामी जी नहीं

हैं, फिर भी मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री नारायणसामी से आग्रह है कि वह प्रस्तावित विधेयक को वापस लेने की कृपा करें।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे भी अनुरोध है कि इस विधेयक को वापस लेने की मंजूरी प्रदान करें।

मैं पुन: उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया तथा अपने महत्वपूर्ण सुझाव दर्ज कराए हैं। ये सुझाव हमारे लिए पूरी तरह से एक मार्गदर्शिता के रूप में रहेंगे और इन्हें आगे लेकर हम काम करेंगे। धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

श्री जयन्ती लाल बरोट: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जब भाव बढ़ेगा, तो कार्यक्षेत्र क्या होगा, कैसे काम करेंगे? ऐसा कुछ इसमें दिखा नहीं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): एक मिनट। ...(व्यवधान)... एक मिनट। देखिए, यह बिल नवंबर से चल रहा है, 6 महीने करीब हो गए हैं और 8 घंटे से ज्यादा इस पर चर्चा हो गई है, जबकि 2 घंटे का नियम होता है। मेरी समझ से अब अगर इस पर बात करेंगे, तो जो दूसरे प्राइवेट मैम्बर्स बिल हैं, उनके साथ ज्यादती होगी। इसलिए अब इस पर आगे कोई चर्चा नहीं। ...(व्यवधान)... जोशी जी, आप अलग से बात कर लीजिए। आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, आप अलग से बाद में बात कर लीजिए। ...(व्यवधान)... No, no, I can't allow now. We have done enough. On this, we have spent four times the time allocated for this.

श्री जयन्ती लाल बरोट: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जब आठ घंटे चर्चा हुई है, थोड़ी सी और हो जाए तो क्या हुआ।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): फिर आप बोलेंगे कि दस मिनट ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, इसलिए कहीं न कहीं हमें एक बॉर्डर लाइन खींचनी पड़ेगी ...(व्यवधान)... मिनिस्टर साहब ने जवाब नहीं दिया, नारायणसामी जी अभी प्रेजेंट नहीं हैं ...(व्यवधान)...

श्री जयन्ती लाल बरोट: जोशी जी एक सुझाव देना चाहते हैं ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): यह सुझाव की बात नहीं है, फिर वह यह भी चाहेंगे कि मिनिस्टर उसका जवाब दें ...(व्यवधान)...

श्री शरद अनंतराव जोशी : मुझे दो मिनट दीजिए। मैं जो आंकड़े पेश कर रहा था, उस समय आपने मुझे रोका था और उन्हीं आंकड़ों पर उन्होंने दूसरे आंकड़े दिए ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) मैंने इसलिए रोका था कि उस समय आपका टाइम नहीं था। उस समय ये बोल रहे थे और आप बीच में बोलना चाहते थे, इसलिए मैंने रोका था। जब आपने अपना भाषण दिया, उस समय आपने आंकड़े दिए होंगे, लेकिन अगर आपने उस समय आंकड़े नहीं दिए तो यह मतलब तो नहीं है कि कोई भी बोले, उसी समय आप आंकड़े देंगे ... (व्यवधान)...

श्री शरद अनंतराव जोशी: आंकड़े देते समय आपने रोका था और इसी विषय पर मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए थे ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) देखिए, मैंने उस समय भी रोका था और अब भी रोक रहा हूं और इसलिए रोक रहा हूं कि यही संसद का नियम भी है। फिर भी आप दो मिनट में जल्दी से अपनी बात बोलिए।

श्री शरद अनंतराव जोशी: मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने यह कहा था कि गन्ने के लिए 1980 में एक पैसा पेस्टिसाइड्स की कॉस्ट आंकी गई थी, वह हिसाब आपने कैसे लगाया? इसका आपने जवाब नहीं दिया।

1987-88 से 1990-91 तक कीमतें कैसे गिरी? इसका जवाब आपने देना था, लेकिन नहीं दिया। आप इस बात को क्यों नहीं मानते हैं कि आपके ऐवरेजिंग मैथड गलत हैं। अगर यह सब ठीक होता तो नारायणसामी जी को यह बिल न लाना पड़ता, नारायणसामी जी यह बिल इसीलिए लाए हैं कि आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है। आपने तो रटा-रटाया भाषण दे दिया कि हमारा मंत्रालय यह कर रहा है, वह कर रहा है, यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है, यह तो ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया): बस हो गया। मंत्री जी, अब आप जवाब देना चाहें तो दीजिए नहीं तो मत दीजिए ...(व्यवधान)... Now, Shri V. Narayanasamy is absent. I shall now put the motion moved by Shri V. Narayanasamy to vote. The question is:

"That the Bill to provide for ensuring remunerative prices for the agricultural produce of the farmers by way of fixation of minimum support price, compulsory purchase of the produce through Government agencies and compulsory market intervention by such Governmental agencies in cases of bumper crops and for the establishment of an autonomous Board for the purposes and for matters connected therewith and incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was negatived.

Now, Shri Karnendu Bhattacharjee to move the Motion, he is not present; then, Shrimati Brinda Karat, she is also absent. Now, Shri Lalhming Liana to move a motion for consideration of the Constitution (Amendment) Bill, 2006, (amendment of Eighth Schedule).

The Constitution (Amendment) Bill, 2006 (Amendment of Eighth Schedule)

SHRI LALHMING LIANA (Mizoram): Sir, I move:

> "that the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration;"

Mr. vice-Chairman, Sir, this Bill is very short and simple. It seeks to further amend the Eighth Schedule of the Constitution so as to include Mizo in the Eighth Schedule of the Constitution. The language of Mizo people is Mizo which is a very important language of the Tibeto-Burman family. It has a vast cultural, linguistic and literacy value and it is spoken by about thirty lakh people around the world.

Sir, the language, as we all know, is a fundamental and irreplaceable means of communication. It is said that all living beings have their own language to communicate with each other. It is langauage that provides a window to certain ways of living, and, sometimes, ways of thought. It is the language, whether spoken or written, that makes human civilisation possible. Sir, it is langauage that makes all the important treaties of the world to come into existence and, again, it is language through which you express your love and affection to your dear ones.

Sir, India is a very big country where multiple races with distinct culture, religion, language and dialect are living together. Indeed, the greatness of India lies in the unity of these diverse races that speak different languages. Each language group is not only produe of its language but also tries to preserve and develop till it attains perfection. Way back in 1955, the late Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru said that all the great language of India which are mentioned in the Constitution have to be developed.

He also went a step further and said that even those in the North-East frontier area, which is the North-Easteran Region today, ought to be developed. He was convinced that the development of any one of the great languages of India helps the development of all the languages.